

04.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील 32य
पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने साला वाद
पेश नहीं किया। साथ वह पेश करने हेतु
समर्थ चाहता। न्यायस्थ में अंतर दिया जाता
है। पत्रावली वास्ते साथ वादी दिनांक
04.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

04.12.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने अंतर करना कि अर्थ। वादी
इस पत्रावली को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं
पत्रावली में कोई अर्थ वादी नहीं चाहते हैं। वकील
वादी ने 24 वाक्य पत्रावली पर Not Press किया
वकील वादी द्वारा किया गया Not Press को स्वीकार
दिया जाकर पत्रावली में अर्थ वादी इतनी स्तर पर
समाप्त की जाती है। पत्रावली फॉसल शुभाड डेकर
दाखिल स्फतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)